

समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ सं०-10

स्थान-डोईवाला, जिला देहरादून।

सी०जी०नं०-532 / 2022

राज्य

बनाम

राजबहादुर।

आदेश

दिनांक-12-11-2022

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पेश हुई।

2. प्रार्थी/अभियुक्त राजबहादुर द्वारा मूल रसीद मय प्रार्थना पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी उक्त वाद को लड़ना नहीं चाहता है। प्रार्थी ने सी०ओ०पेशी में उपरोक्त वाद की बाबत अर्थदण्ड जमा करा दिया है। अतः प्रार्थना की गयी है कि उक्त वाद को लोक अदालत के माध्यम से शमन कर, समाप्त किया जाये।
3. इस सम्बन्ध में कार्यालय से आख्या तलब की गयी है। कार्यालय आख्यानुसार, “महोदय रसीद के माध्यम से जुर्माना सी०ओ० ऑफिस में जमा कर दिया है।”
4. इस सन्दर्भ में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर द्वारा आख्या दी गयी है कि, “महोदय प्रार्थी द्वारा सी०ओ० कार्यालय में जुर्माना जमा करा दिया गया है। रसीद संलग्न है।”
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का एम०वी०एक्ट० के तहत चालान किया गया था। धारा 200 एम०वी०एक्ट के तहत कुछ अपराधों को शमनीय बनाया गया है। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 153/IX/108/2009, दिनांकित 15.07.2009 के जरिये परिवहन कर अधिकारी, ग्रेड-1 व अधिसूचना संख्या 614/IXH/81/2016, दिनांकित 09.08.2016 के जरिये, पुलिस अधिकारी को शमन करने के लिए अधिकृत किया गया था। जिसे अधिसूचना संख्या 418/IX-1/53/2019, दिनांकित 24.09.2019 द्वारा विस्तृत व शमन की धनराशि नियत कर दण्ड किया गया है। जिसके तहत अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध चालान का शमन किया गया है। प्रमाण के रूप में रसीद की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है। मूल रसीद पर अविश्वास व संदेह का कोई न्यायोचित कारण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में, उपरोक्त आधारों पर मामले में अब कोई विधिक कार्यवाही शेष नहीं रह गई है तथा मामले को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त की याचना स्वीकार करते हुए, चूँकि मामले में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं की जानी है, तदनुसार मामले का नियमानुसार निस्तारण किया जाता है।
8. बाद आवश्यक कार्यवाही, पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर अध्यक्ष,

(मनोज कुमार)
एडवोकेट,

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डोईवाला।